न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 121 / 2012

उनवान

1. रामपालदास मुतबन्ना लक्ष्मणदास जाति साधु निवासी सरेरी तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स / वादीगण

बनाम

1. श्रीमती शांतिदेवी पुत्री हरदेव बैरागी निवासी सरेरी, तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हुरडा, जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण / प्रतिवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया के
प्रकरण संख्या 82 / 2005 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 9.4.2012

अभिभाषक : 1. श्री दिनेश सिसोदिया, अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री गोपाल अजमेरा प्रत्यर्थी संख्या एक
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 04.07.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 / वादीया ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवार हल्का सरेरी तहसील हुरडा की सरहद में आराजी नम्बर 872 लगायत 877 व 879 कुल किता 7 रकबा 14 बीघा 9 बिस्वा स्थित है। जिसके 1/2 हिस्से का खातेदार वादिया के पिता श्री हरदेव जी तथा शेष 1/2 हिस्से के खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 दर्ज रेकार्ड चला आ रहा है। वादिया के पिता श्री हरदेव जी का निधन 13.7.2003 को हो चुका है। वादिया हरदेव जी की इकलोती संतान होकर एकमात्र वारिस है तथा हरदेवजी की खातेदारी अधिकार व आधिपत्य की आराजियात पर बहैसियत मालिक काबिज काश्त करती चली आ रही है। हरदेवजी के निधन के बाद में नामान्तरकरण वादिया के पक्ष में स्वीकृत किये जाने के बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 गलत तौर पर अपने पक्ष में हरदेव की वसीयत उसके पक्ष में होना बता रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 को अपने प्रभाव में लेकर राजस्व रेकार्ड में नामान्तरकरण वादिया के पक्ष में स्वीकृत नहीं होने दे रहा है। जबकि विवादित आराजियात हरदेवजी की पुश्तैनी आराजियात है । हरदेव जी ने किसी के पक्ष में कोई वसीयत नहीं की है न ही विवादित आराजियात के संबंध में वसीयत करने का कोई अधिकार ही था। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 का विवादित आराजियात से कोई तालुक नहीं है। वसीयत से प्रतिवादी संख्या 1 को कोई अधिकार पैदा नहीं होता है। हरदेवजी के निधन के बाद वादिया ही एकमात्र वारिस होने से विरासत के आधार पर नामान्तरकरण खुलवाने की अधिकारी है। किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा अवैध तौर पर वादिया के पक्ष में नामान्तरकरण खोले जाने बाधा उत्पन्न की जा रही है। अतः वादिया को वादग्रस्त आराजियात में 1/2 हिस्से का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

हरदेवजी के बजाय खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वह वादिया के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार का दखल उत्पन्न नहीं करें । यदि दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में नामान्तरकरण खुल जावे तो उसे भी निरस्त करयाा जावे ।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण निर्णय एवं डिक्री दिनांक 9.4.2012 द्वारा वादीगया का वाद पत्र स्वीकार किया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/वादिया ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया के पिता हरदेव के सहखातेदारी अधिकार की आराजियात कुल किता 7 रकबा 14 बीघा 9 बिस्वा जो कि मौजा सरेरी तहसील हुरडा में स्थित है जिसमें हरदेव जी का 1/2 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। हरदेव जी का निधन दिनांक 13.7.2003 को हो गया। उनके निधन के पश्चात हरदेव जी के हिस्से की आराजियात वादिया के नाम पर दर्ज नहीं कर प्रतिवादी संख्या 1/अपीलाण्ट के नाम पर दर्ज करने को आमादा हो रहे हैं। जबकि हरदेव जी ने किसी प्रकार का वसीयतनामा प्रतिवादी संख्या 1/अपीलाण्ट के हक में निष्पादित नहीं किया था। अतः वादिया को वादग्रस्त आराजियात के 1/2 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। जिस पर अपीलाण्ट/प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट/प्रतिवादी के नाना लगते हैं । अपीलाण्ट ने हरदेव जी की सेवा–चाकरी तन–मन–धन से की थी तथा अपीलाण्ट/प्रतिवादी संख्या 1 की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर हरदेव जी ने अपने

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जीवनकाल में ही अपनी समस्त चल–अचल सम्पदाओं का वसीयतनामा दिनांक 4.1.1991 को अपीलाण्ट प्रतिवादी के हक में लिखा अपने हस्ताक्षर किये तथा साखें आदि दिला निष्पादित करा विधिवत उप पंजीयक हुरडा से पंजीकृत करा दिया । इतना ही नहीं हरदेव जी की मृत्यु के उपरान्त उनका सामाजिक क्रियाकर्म तथा गंगोज आदि अपीलाण्ट ने ही सम्पादित किये व कराये हैं। सामाजिक रीति–रिवाज अनुसार हरदेव जी की पगडी का दस्तूर भी अपीलाण्ट प्रतिवादी के सिर पर ही सामाजिक परम्परा अनुसार किया गया है। हरदेवजी की मृत्यु के उपरान्त वसीयतसुदा समस्त चल–अचल सम्पदाओं पर अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ही उपयोग–उपभोग कर रहा है। वादिया/प्रत्यर्थी संख्या 1 का कोई कब्जा नहीं है।

4. दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम की गई। बाद सुनवाई वादिया/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं होने के बावजूद उसके पक्ष में की गई पॉवर ऑफ अटोर्नी के आधार पर दिये गये बयानों को गलत तौर पर तवज्जो देते हुए अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को नजरअंदाज करते हुए विधिविरूद्ध तरीके वाद को वादिया के पक्ष में डिक्री कर दिया । जो खारिज योग्य है।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात वाद प्रस्तुत करते समय वादिया/प्रत्यर्थी संख्या 1 का कोई कब्जाकाश्त नहीं था। खातेदारी हकों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद वही व्यक्ति प्रस्तुत कर सकता है जिसका वादग्रस्त आराजियात पर कब्जाकाश्त हो या वह वादग्रस्त आराजियात का खातेदार हो । इस प्रकार वादिया का वाद कानूनन पोषणीय ही नहीं था।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादिया ने अपने पिता की मृत्यु के उपरान्त उनके हिस्से की आराजियात का खातेदार काख्तकार घोषित किये जाने की दाद चाही थी। जबकि वादिया/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पिता हरदेव जी ने अपने जीवनकाल में ही विधिवत अपनी समस्त चल–अचल सम्पदा दिनांक 4.1.1991 को रजिस्टर्ड वसीयत द्वारा अपीलाण्ट के हक में वसीयत कर दी । इस प्रकार हरदेवजी का निर्वसीयती देहान्त नहीं हुआ है इसलिए वादिया हरदेवजी की सम्पदाओं को प्राप्त करने की अधिकारी नहीं हैं। चूंकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि निर्वसीयती किसी हिन्दु की मृत्यु के उपरान्त ही उसके प्रथम श्रेणी के वारिसान उसकी सम्पदाओं में हक हिस्सा प्राप्त करते हैं। जबकि अपीलाधीन मामले में हरदेव जी की निर्वसीयती मृत्यु नहीं हुई है। इसलिए वादग्रस्त आराजियात में कानूनन वादिया का कोई हक अधिकार नहीं रहता है। उसके बावजूद विधिविरूद्ध तरीके से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीया/वादिया ने वादग्रस्त आराजियात के पुश्तैनी होने के तथ्य को किसी भी दस्तावेज से साबित नहीं कराया है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजियात में वादिया का कानूनन कोई हक अधिकार नहीं बनता है। उसके बावजूद अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिया द्वारा दिनांक 9.1.2012 को अपना मुख्य परीक्षण कराने के उपरान्त जिरह प्रारंभ की गई तो वादिया ने अपनी मानसिक स्थिति ठीक न होना

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बताते हुए जिरह करने में असमर्थता जाहिर की इसके उपरान्त वह कभी भी साक्ष्य में परीक्षित नहीं हुई । वादिया ने मानसिक स्थिति ठीक होने बाबत कोई प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया । ऐसी हालत में वादिया की ओर से जो पॉवर ऑफ अटोर्नी होल्डर शोभा लाल के बयान हुए उक्त बयानों को वादिया के बयान न मान मात्र गवाह के रूप में बयान को कानूनन देखा जाना चाहिये। वादिया/रेस्पोडेण्ट की ओर से दिनांक 25.9.2006 को भी गोपाल दास पी डब्ल्यू 1 के बयान लेखबद्ध किये गये । उक्त बयान भी गोपालदास ने वादिया की ओर से बतौर पॉवर ऑफ अटोर्नी होल्डर ही दिये हैं। जिस बाबत आपत्ति भी की गई थी। उक्त आपत्ति के उपरान्त गोपालदास साक्ष्य में परीक्षित नहीं हुआ । क्योंकि तथाकथित पॉवर ऑफ अटोर्नी फर्जी थी। किसी स्वतंत्र साक्ष्य वाद को सिद्ध कराया था। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीया/वादिया का वाद पत्र स्वीकार करने में भारी भूल की है।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात पर प्रत्यर्थीया/वादिया ने अपना कब्जा होना भी साबित नहीं कराया है एवं न ही यह तथ्य साबित कराया है कि वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी थी। वादिया की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य शोभा लाल ने वादग्रस्त आराजियात के पडौसी की जानकारी नहीं होना बताया है। जिससे वादग्रस्त आराजियात पर वादिया का कब्जा नहीं होना साबित करता है। अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयतनामा को वादिया ने सक्षम न्यायालय से निरस्त भी नहीं करवाया है । ऐसी स्थिति में वादिया का वादग्रस्त आराजियात में कोई हक अधिकार नहीं रहता है। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादिया का वाद स्वीकार करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलार्थी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी को निरस्त किये जाने का निवेदन किया । अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपने तर्को की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण आर एल डब्ल्यू (3) पेज 1918 , डब्ल्यू एल सी 2013 (2) सिविल पेज 91 सुप्रिम कोर्ट, आर बी जे 1998 पेज 163–610–274, आर एल डब्ल्यू 2015 (1) पेज 368, आर आर डी 2016 पेज 217, डब्ल्यू एल सी 2014 (यू सी) पेज 789, डब्ल्यू एल सी 2016 पेज 740, आर बी जे 1998 –I, आर आर टी 2003 (2) पेज 1090 प्रस्तुत कर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

10. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात पर अपीलाण्ट/प्रतिवादी वसीयत के आधार पर अपना हक अधिकार बताते हैं जबकि वादग्रस्त आराजियात वादिया की पुश्तैनी आराजियात थी। इस सबंध में अधीनस्थ प्रदर्श 4 संलग्न है जो प्रत्यर्थीया शांतिदेवी के पिता हरदेवदास पिता धुलदास ने सेटलमेण्ट आफीसर भीलवाडा को प्रार्थना पत्र दिनांक 5.8.1972 को लिखा था। जिसमें अंकन किया था कि मेरी बापी शुदा विवादित आराजी के पुराने नम्बरान जो बडे भाई रामचन्द्रदास के नाम दर्ज है इसमें मेरा 1/2 हिस्सा है। दोनों भाईयों के नाम पर उक्त आराजी दर्ज कराई जाकर पर्ची दिलाई जावे। जिसमें हरदेव का भाई रामचन्द्र भी सहमत था। प्रदर्श 5 जिसके द्वारा प्रार्थी हरदेवदास के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही की गई। जिससे वादग्रस्त आराजियात वादिया की पुश्तैनी होना प्रमाणित है।

11. यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा यह कथन करना कि भू प्रबन्ध के दौरान गलत इन्द्राज कर दिया गया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

था जबकि पुराने इन्द्राज को ही रिपिट करना था तो हरदेवदास का नाम गलत दर्ज कर दिया गया था तो अपीलाण्ट को वसीयत से अधिकार भी प्राप्त नहीं होते है। गवाह के बयानों से भी वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी है यह तथ्य प्रमाणित है। अपीलार्थी ने यह तथ्य साबित नहीं कराया था कि वादग्रस्त आराजियात हरदेव दास की स्वअर्जित थी। वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी होने से ही हरदेवदास एवं रामचन्द्रदास के नाम पर दर्ज की गई थी। वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी होने से हरदेवदास को वसीयत करने का अधिकार नहीं था। अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपने कथनों की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण ए आई आर 2018 (NOC) पेज 203 (BOM) प्रस्तुत कर अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

12. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी, अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का कथन है कि हरदेव जी अपीलार्थी के नाना लगते थे एवं हरदेव जी के कोई जायन्दा पुरूष संतान नहीं होने से उनकी सेवा सुश्रुषा अपीलार्थी ने की थी एवं उनकी सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर हरदेवजी ने उनकी चल एवं अचल सम्पति बाबत अपने जीवनकाल में ही दिनांक 4.1. 1991 को रजिस्टर्ड वसीयत अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित की । हरदेवजी की मृत्यु के उपरान्त वादग्रस्त आराजियात पर अपीलार्थी का ही कब्जाकाश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजियात चूंकि हरदेव जी की स्वअर्जित थी इसलिए उन्हें वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था। चूंकि हरदेव जी ने अपीलार्थी के पक्ष में वसीयत निष्पादित कर दी थी एवं उसके पश्चात हरदेव जी की मृत्यु हुई थी इसलिए प्रत्यर्थी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

संख्या 1/वादिया का वादग्रस्त आराजियात में किसी प्रकार का हक अधिकार निहित नहीं है। भू प्रबन्ध के दौरान भू प्रबन्ध विभाग को पुराने इन्द्राज को रिपिट करने का अधिकार है । पुराने इन्द्राज में सक्षम न्यायालय अथवा सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना पुराने इन्द्राज में परिवर्तन का अधिकार नहीं है।

13. हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलार्थी का कथन है कि वादग्रस्त आराजियात हरदेवजी की स्वअर्जित आराजियात थी इसके विपरीत प्रत्यर्थी संख्या 1/वादिया का कथन है कि वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी थी। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायाल की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श 4 का अवलोकन किया गया । धुलदास के दो पुत्र हरदेव दस एवं रामचन्द्रदास थे। जिसमें से धूलदास के रामचन्द्रदास बडे पुत्र थे एवं छोटे पुत्र हरदेवदास थे। भू प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान हरदेवदास ने सेटलमेण्ट ऑफिसर, भीलवाडा के यहॉ निवेदन किया कि "मेरी बापीसुदा आराजी ग्राम सरेरी में पुराने नम्बर 1127/36, 1127/42,128/43, 1127/44, 1127/46, 1146/42 कुल रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा दर्ज है जो मेरे बडे भाई रामचन्द्रदास धुलदास के नाम रेकार्ड में दर्ज है पुराने टाईम में जो बडा भाई होता था उसके नाम पर दर्ज करा लेते थे। अब भी अब भी आपके द्वारा जो लगानी पर्चा मिला है वो भी श्रीरामचन्द्रदास पिता धूलदास के नाम पर आराजी नम्बर 872 लगायत 876 एवं 879 रकबा 14 बीघा 9 बिस्वा की पालडी मिली है इसमें मेरा हिस्सा 1/2 है इसलिए जमीन भी हमारे दोनो भाईयों के नाम पर दर्ज कराई जाकर पर्ची दिलाई जावे। " जिस पर भू प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही के दौरान मिसल संख्या 122/72, 134/72 कायम की गई एवं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय दिनांक 14.9.72 द्वारा उभयपक्ष को सुना गया जिसमें रामचन्द्रदास ने 1/2 हिस्सा हरदेवदास के नाम पर दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं की । उक्त आदेशिका पर हरदेवदास एवं रामचन्द्रदास की अंगूठा निशानी है। जो प्रदर्श 5 है। इससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त आराजियात पूर्व में धूलदास के खातेदारी की थी इस कारण हरदेवदास ने प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजियात को "मेरी वापी जमीन " अंकित किया था। जहॉ तक अपीलार्थी का यह कथन कि भू प्रबन्ध विभाग को पुराने इन्द्राज को ही रिपिट करना चाहिये था तो ऐसी स्थिति में यदि वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी नहीं थी तो रामचन्द्रदास को जो भूमि पैतृक होने से प्राप्त हुई है वह ही गलत है तो अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजियात में हक अधिकार कैसे प्राप्त होता है। अपीलार्थी ने यह तथ्य साबित नहीं कराया है कि वादग्रस्त आराजियात हरदेवदास की स्वअर्जित रही हो। अपीलार्थी ने यह भी इंकार नहीं किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/वादिया हरदेवदास की पुत्री नहीं हो। वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी थी जिसकी वसीयत करने का अधिकार हरदेवदास को नहीं था। हरदेवदास की प्रथम श्रेणी की वारिस प्रत्यर्थी संख्या 1/वादिया है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उदधरण अपीलाधीन मामले में पूर्णतया चस्पा नही होते है क्योकि रामचन्द्रदास एवं हरदेव सहखातेदार नहीं होकर सगे भाई हैं व वादग्रस्त भूमि बापी होने पर भी एक भाई के हिस्से में नहीं आई । पानडी भी एक ही भाई को दी गई । रामचन्द्रदास ने भी उक्त कथन पर सहमति बताई एवं 1/2 हिस्सा हरदेवदास के नाम पर दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति भी नहीं की। सभी तथ्यों का मूल यह है कि विद्वान अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उदधरणो के आधार पर उनके द्वारा रामचन्द्र

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

के नाम के इन्द्राज को चुनौती दी जा रही है तो फिर अपीलार्थी का हक तो स्वतः ही समाप्त हो जाता है।

14. अधीनस्थ न्यायालय ने दावा जवाब दावा के आधार पर तनकियात कायम की एवं तनकीवार जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

15. अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंवं डिक्री दिनांक 9.4.2012 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

16. निर्णय आज दिनांक 4.7.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

4/7/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 121 / 2012

उनवान

1. रामपालदास मुतबन्ना लक्ष्मणदास जाति साधु निवासी सरेरी तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स / वादीगण

बनाम

1. श्रीमती शांतिदेवी पुत्री हरदेव बैरागी निवासी सरेरी, तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हुरडा, जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण / प्रतिवादीगण

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 82 / 2005 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 9.4.2012

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आरटीए / 121 / 2012 मे **उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैं:–

यह अपील तारीख 4.7.2018 को अपीलाण्ट की ओर से श्री दिनेश सिसोदिया वकील एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता गोपाल अजमेरा एवं राजकीय अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश सोनी की उपस्थिति मे दिनांक 4.7.2018 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंवं डिक्री दिनांक 9.4.2012 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 4.7.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

4/7/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस